संख्या-164 /2026/ 872/35-4-2026/35-4002(002)/2/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 08 जुलाई, 2026

विषय:- जनपद झाँसी में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद झाँसी में शासनादेश संख्या-637/2023/1472/35-4-2023/35-4002(002)/2/2024 दिनांक 17 मई, 2023 द्वारा 06 स्वीकृत निर्माण कार्यों मे से 03 कार्यों हेतु (क्र0 2,4 व 5 पर अंकित) की अनुमोदित लागत रू0 176.06 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में कुल धनराशि रु0 88.02 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- आपके पत्र सख्या-1605/अ0एवंस0/त्वआ0वि0यो0/2022-2023/मांग/2025-26 दिनांक 23 मार्च, 2026 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना अंकित करते हुए एवं टेण्डर की धनराशि का उल्लेख करते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि व बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष **रू0 75.58 लाख (रूपये पचहत्तर लाख अट्ठावन हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपए लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	गठित अनुबन्ध की लागत	जी0एस0टी0 18 प्रतिशत	कार्य पूर्ण के पश्चात शुद्ध बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में आवंटित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	वि0ख0 चिरगांव के चिरगांव गुरसरांय मेन रोड से खिल्ला तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 875 मी0)	70.75	55.71	10.03	5.01	65.74	35.37	30.37
2	वि0ख0 चिरगांव के बघैरा घुरैया सडक से बडाहार के डेरा तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण (लम्बाई 570 मी0)	46.97	36.99	6.66	3.32	43.65	23.48	20.17
3	वि0ख0 चिरगांव के भरौल से इमला सरकार हनुमान जी के मंदिर की ओर सी0सी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 700 मी0)	58.34	45.94	8.27	4.13	54.21	29.17	25.04
	योग-	176.06	138.64	24.96	12.46	163.60	88.02	75.58

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करते हुए नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कारया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करते हुए कार्यपूणता का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक- 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 75.58 लाख (रूपये पचहत्तर लाख अट्ठावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्ष-5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक- 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-164/2026/872(1)/35-4-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, झाँसी।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी।
11. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झाँसी।
13. अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, झाँसी।
14. नोडल अधिकारी, बजट आबंटन प्रणाली, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in